



LATEST NEWS

Election

Date : 11th Dec. 2025

Office of Chief Electoral Officer
Rajasthan

<https://election.rajasthan.gov.in/>

Follow us on:



CEORAJASTHAN

हेल्पलाइन
1950

लोकसभा • चुनाव सुधार पर चर्चा में शाह ने विपक्ष को घेरा घुसपैठिये पीएम-सीएम तय करेंगे तो लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा: शाह

कांग्रेस की हार का कारण
ईवीएम और एसआईआर
नहीं, उनका नेतृत्व है: शाह

नई दिल्ली | चुनाव सुधार पर लोकसभा में चर्चा के दूसरे दिन बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा, विपक्ष एसआईआर पर झूठ इसलिए फैला रहा है, ताकि घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में बने रहें। पूछा, पीएम-सीएम का फैसला घुसपैठिए करेंगे तो लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा? गृह मंत्री ने कहा, कांग्रेस की हार का कारण ईवीएम या वोट चोरी नहीं, उसका नेतृत्व है। संबोधन के बीच विपक्ष ने वाँकआउट किया। शाह ने कहा, विपक्ष कितनी भी बार बहिष्कार कर ले, एनडीए घुसपैठियों को चिह्नित करने, नाम हटाने और देश से निकालने की नीति जारी रखेगा। शेष | पेज 11

**चुनाव आयुक्त को इम्युनिटी क्यों दी : राहुल
मनमानी नहीं चलेगी, क्रम में तय करूंगा: शाह**

चर्चा के दौरान गृह मंत्री शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। शाह ने हरियाणा चुनाव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए कहा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने परमाणु बम फोड़ा था। वोट चोरी के नैरेटिव पर कुछ देर बाद कहा कि हमारे यहां कुछ परिवार पुश्तैनी वोट चोरी करते हैं। राहुल ने बीच में टोका, 'मैंने कल पूछा था कि चुनाव आयोग को इम्युनिटी क्यों दी गई? हरियाणा में 19 लाख फेक वोटर्स पर बताएं। मैं

आपको चुनौती देता हूँ कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहस करें।' इस पर शाह ने कहा, मैं 30 साल से जनप्रतिनिधि हूँ। नेता विपक्ष कह रहे हैं कि पहले मेरी बात का जवाब दो। आपकी मनमानी से संसद नहीं चलेगी। मैं एक-एक बात का जवाब दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वह तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा। जवाब में राहुल ने कहा कि शाह का रिस्पॉन्स पूरी तरह घबराया हुआ है। इस पर शाह ने कहा, मैं उनके उकसावे में नहीं आऊंगा।



लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बवाल, विपक्ष का वॉकआउट घुसपैठिए तय नहीं करेंगे सीएम पीएम कौन होगा : अमित शाह

घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट करेंगे

ब्यूरो नवज्योति/नई दिल्ली। लोकसभा में चुनाव सुधारों और एसआईआर पर बहस के बीच सियासी पारा चरम पर पहुंच गया। सदन में गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमित शाह को डिबेट की चुनौती दे डाली। अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि पहली वोट चोरी जवाहरलाल नेहरू, दूसरी इंदिरा गांधी और तीसरी सोनिया ने की थी। शाह ने कहा कि मूल मुद्दा है अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में रखने का। हम किसी घुसपैठिए को नहीं छोड़ेंगे। एक-एक घुसपैठिए को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करेंगे। घुसपैठिए यह तय नहीं कर सकते कि सीएम-पीएम कौन हो।

विपक्ष का हंगामा

शाह के बयान पर विपक्षी दलों ने हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। जैसे ही विपक्ष ने सदन छोड़ना शुरू किया, संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने उन्हें ललकारते हुए कहा कि वे डरे हुए हैं और भाग रहे हैं, जबकि गृह मंत्री हर मुद्दे का जवाब दे रहे थे, लेकिन विपक्ष ने जानबूझकर सदन और जनता का समय बर्बाद किया। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी वॉकआउट करने वाले सांसदों को डरपोक करार दिया।



एसआईआर चुनावों के पवित्र रखने की प्रक्रिया

लोकसभा में चुनाव सुधारों पर हुई बहस का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2004 के बाद अब 2025 में एसआईआर हो रहा है। तब एसआईआर प्रक्रिया का किसी भी दल ने विरोध नहीं किया था क्योंकि यह चुनावों को पवित्र रखने की प्रक्रिया है। लोकतंत्र में चुनाव जिस आधार पर होते हैं, अगर वो मतदाता सूची ही प्रदूषित है तो चुनाव कैसे साफ हो सकता है। समय-समय पर मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण जरूरी है, इसलिए चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि एसआईआर किया जाएगा।

एसआईआर कई घटनाओं को रोकेगा

शाह ने कहा कि कांग्रेस ने दावा किया है कि कुछ लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दो अलग-अलग जगहों पर रजिस्टर्ड हैं। जिन लोगों का नाम दो बार आता है, उन्हें दोष देना गलत है क्योंकि यह अक्सर सिस्टम से जुड़ी दिक्कतों का नतीजा होता है। 2010 से रिटर्निंग ऑफिसर का डुप्लीकेट एंट्री हटाने का अधिकार खत्म कर दिया गया है, जिससे ऐसी गड़बड़ियां हुई हैं। असल में कई ऐसे नेता हैं जिनके नाम एक से ज्यादा जगहों पर रजिस्टर्ड हैं। ये अपडेटेड नियमों की वजह से होने वाली आम गलतियां हैं। एसआईआर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए है। फिर भी हम पर वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। शाह ने कहा

कि कांग्रेस कहती है कि भाजपा को कभी सत्ता विरोधी लहर का सामना नहीं करना पड़ता, सत्ता विरोधी लहर का सामना तो उन्हें करना पड़ता है जो जनहित के विरुद्ध काम करते हैं। भाजपा की सरकारें बार-बार चुनकर आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 2014 के बाद कोई चुनाव नहीं हारे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ 2018 में हारे, राजस्थान 2018 में हारे, मध्य प्रदेश 2018 में हारे, कर्नाटक 2014 के बाद हारे, तेलंगाना हम जीत नहीं पाए, चेन्नई हम जीत नहीं पाए, बंगाल भी हारे, तब तो आप नए कपड़े पहनकर शपथ ले लेते हैं। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते थे।

एसआईआर पर सरकार का जवाब रक्षात्मक: राहुल



ब्यूरो नवज्योति/नई दिल्ली। लोकसभा में चुनाव सुधार और स्पेशल इंटर्सिव रिवीजन (एसआईआर) पर हुई बहस पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जवाब को विपक्षी नेता राहुल गांधी ने घबराया हुआ और रक्षात्मक करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि शाह ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया, खासकर पारदर्शी मतदाता सूची, ईवीएम के आकिटेक्चर और बीजेपी नेताओं के वोट चोरी के आरोपों पर उन्होंने कुछ नहीं बोला है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी शाह के भाषण पर सवाल उठाते हुए कहा कि शाह ने एक घंटे तक सिर्फ यह सफाई दी कि उन्होंने वोट चोरी नहीं की, अगर कोई बेगुनाह है तो क्या वे इतनी लंबी सफाई देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि पारदर्शी मतदाता सूची दी जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि भाजपा के नेता हरियाणा और बिहार में वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस पर भी कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी ने कहा कि वह फिर से दोहरा रहे हैं कि वोट चोरी सबसे बड़ा देशद्रोह है।

EVM नहीं, जनता जिताती है : शाह

लोकसभा में एसआईआर पर चर्चा में राहुल पर साधा निशाना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर (एजेंसी) : गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि हमें ईवीएम नहीं जनता जिताती है। उन्होंने नेता विपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए विपक्ष पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर झूठ फैलाने और पूरी दुनिया में भारतीय लोकतंत्र की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। साथ ही दावा किया कि चुनावों में कांग्रेस की हार की वजह ईवीएम एवं मतदाता सूची नहीं, बल्कि राहुल गांधी का नेतृत्व है।

शाह ने लोकसभा में, चुनाव सुधारों पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि एक दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता हार का हिसाब मांगेंगे। विदेशी नागरिकों को भारत में मतदान करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। निर्वाचन आयोग तटस्थता से चुनाव कराने वाली संस्था है।

गृह मंत्री ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा, 'ईवीएम की दलील गले नहीं उतरती तो अब वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए। **संबंधित खबरें पेज-12**

मतदाता सूची खराब थी तो शपथ क्यों ली

शाह ने विपक्षी दलों की जीत का उल्लेख करते हुए कहा कि अगर मतदाता सूची खराब थी तो शपथ क्यों ली? भाजपा कई चुनाव हारी, लेकिन कभी किसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े नहीं किए।



राहुल के हस्तक्षेप पर हुई तीखी नोक-झोंक

अमित शाह : विपक्ष के नेता की तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दूंगा। एक सादी वाली। एक एटमबम वाली। एक हाइड्रोजन बम वाली...

राहुल गांधी (हस्तक्षेप करते हुए) : यह एक अच्छा विचार है। मैं आपको इसके लिए चुनौती देता हूँ। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार चुनाव आयुक्तों को पूरी इम्युनिटी दी जा रही है। इसके पीछे क्या सोच है? पहले यह बताएं?

अमित शाह : मैं 30 साल से

जनप्रतिनिधि हूँ। आपकी मुंसिफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह संसद नहीं चलेगी। मेरे भाषण का क्रम नेता विपक्ष तय नहीं कर सकते।

राहुल गांधी : अगर आपने गृहमंत्री की प्रतिक्रिया सुनी हो, तो यह उनका डरा हुआ रिसपांस है। वे डरे हुए हैं।

अमित शाह : मैं आपके उकसावे में नहीं आऊंगा। लेकिन मैं अपने क्रम से ही बोलूंगा।

संसद का शीतकालीन सत्र : हंगामे के बीच विपक्ष का सदन से वॉकआउट घुसपैठिए तय नहीं कर सकते देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री : शाह

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

नई दिल्ली. लोकसभा में बुधवार को गृहमंत्री अमित शाह ने हंगामे के बीच चुनाव सुधारों पर चर्चा का जवाब दिया। कांग्रेस ने सदन का बॉयकाट किया तो शाह ने कहा कि मैं तो घुसपैठियों को बाहर करने की बात कर रहा था, पता नहीं ये (विपक्ष) क्यों बाहर चले गए? शाह ने सवाल उठाया कि क्या किसी देश में लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है, अगर घुसपैठिए देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री तय करें। मुझे उन पार्टियों से हमदर्दी है, जिन्हें देश के वोटर वोट नहीं देते, कुछ घुसपैठिए वोट देते थे और अब वे भी चले जाएंगे।

शाह ने कहा कि हम भी विपक्ष में बैठे हैं, हम जितने चुनाव जीते हैं, उससे ज्यादा हारे हैं। लेकिन हमने चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त पर कभी आरोप नहीं लगाया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाई ये इमरजेंसी नहीं है। जब पत्रकार सवाल पूछता है तो कहते हैं कि भाजपा का एजेंट है। आपके हारने का कारण आपका नेतृत्व है।

पढ़ें घुसपैठिए @ पेज 05

वोट चोरी और चुनाव आयोग के मुद्दे पर दोनों में तीखी नोक-झोंक

राहुल-शाह आए आमने-सामने



मेरा चैलेंज है, चर्चा कराओ : राहुल गांधी

मेरा क्रम मैं तय करूंगा, आप नहीं : गृहमंत्री

लोकसभा में अमित शाह विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान वोट चोरी के मुद्दे पर दोनों के बीच जोरदार भिड़ंत हुई।

■ **अमित शाह:** विपक्ष के नेता (राहुल गांधी) की तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दूंगा। पहली वाली, एक एटम बम वाली और एक हाइड्रोजन बम वाली। हर सवाल का जवाब दूंगा।

■ **राहुल गांधी (टोकते हुए):** शाह जी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। आप मेरी वोट चोरी की तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें।

■ **शाह :** 30 साल से संसद या विधानसभा में चुनकर आ रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। आप नहीं।

■ **राहुल:** शाह जी का रिस्पांस पूरी तरह से घबराया हुआ है। डरा हुआ रिस्पांस है।

■ **शाह:** मैं उकसावे पर नहीं आऊंगा। विषय पर बोलूंगा। मेरे भाषण में पहले-बाद में जो बोलना है मैं तय करूंगा।

गृहमंत्री ने दिया राहुल के तीन सवालों का जवाब

1 चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से सीजेआई को क्यों हटाया?

73 साल तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का कानून नहीं था। प्रधानमंत्री सीधे नियुक्ति करते थे। 1979-91 तक पीएम की सिफारिश पर ही आयुक्त बने। 2023 तक कोई कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, तब हमने कहा कि हमें दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि जब तक कानून नहीं बनता सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सब कुछ हो। इसके बाद कानून बना।

2 चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट किए?

जनप्रतिनिधि कानून 1991 के कानून में साफ लिखा के 45 दिन बाद इसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। जब 45 दिन में कोई आपत्ति नहीं आई तो चुनाव आयोग इसे क्यों रखें? सीसीटीवी रिकॉर्डिंग संवैधानिक दस्तावेज नहीं है।

3 दिसंबर, 2023 में कानून बदला कि चुनाव आयुक्त को डंडित नहीं किया जा सकता?

आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयोग को कानून बनाकर इम्युनिटी दी। 2023 के कानून में भी प्रावधान पहले वाला ही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ केस नहीं कर सकता।

राज्यसभा: भाजपा सांसद के सवाल वापसी पर भड़का विपक्ष @ अंतिम पेज

PLASTO®
10 YEAR GUARANTEE
9175912694

राहुल ने गृह मंत्री शाह से पूछा, “चुनाव आयुक्त” को सरकार ने सभी कानूनी कार्यवाही व दंड देने से मुक्ति क्यों दी है?

प्रत्युत्तर में अमित शाह ने पूछा, “इंदिरा गांधी ने अपने आपको सभी कानूनी कार्यवाही और दण्ड से मुक्ति क्यों प्रदान की थी, जब न्यायालय ने उन पर गैर वाजिब तरीके से चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था”

-रेणु मिश्र-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 दिसंबर। लोकसभा में एसआईआर पर हुई बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के बाद, राहुल गांधी ने तीखी टिप्पणी की।

गृह मंत्री के जवाब से असंतुष्ट संयुक्त विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ठीक मोदी की तरह, गृह मंत्री ने भी कांग्रेस पर हमला करने में ज्यादा समय गंवाया, बजाय इसके कि एसआईआर के उन विवादित पहलुओं पर स्पष्टीकरण देते, जिन पर राजनीतिक दल लगातार सवाल उठा रहे हैं।

शाह के जवाब के बाद राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री उनके द्वारा उठाए गए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- एक वरिष्ठ नेता ने लोकसभा में हुई इस नोक-झोंक पर टिप्पणी की कि शाह चुनाव आयुक्त से तुलना कर रहे हैं तथा यह भी सच है कि अपने को “इम्युनिटी” प्रदान करने के बाद, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थीं।
- राहुल गांधी ने नोक-झोंक के बाद दावा किया कि अमित शाह नोक-झोंक के दौरान रक्षात्मक मुद्रा में थे।
- राहुल गांधी ने तीन सवाल उठाए थे। पहला सवाल था, उन्हें वोटर लिस्ट का, मशीन द्वारा पढ़ा जा सके, ऐसा प्रिंटआउट क्यों नहीं दिया गया।
- दूसरा सवाल था, ईवीएम के काम करने के तरीके का “पारदर्शी” ऑडिट क्यों नहीं कराया जा रहा।
- तीसरा सवाल था, चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को क्यों अलग किया गया।
- कांग्रेस की रणनीति है कि राहुल गांधी के सवालों का जो भी जवाब अमित शाह ने लोकसभा में दिया है, उसी को कमोबेश कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे अगले दिन राज्यसभा में उठावेंगे।

Sparks fly in LS as govt, opp debate poll reforms

Agencies

letters@hindustantimes.com

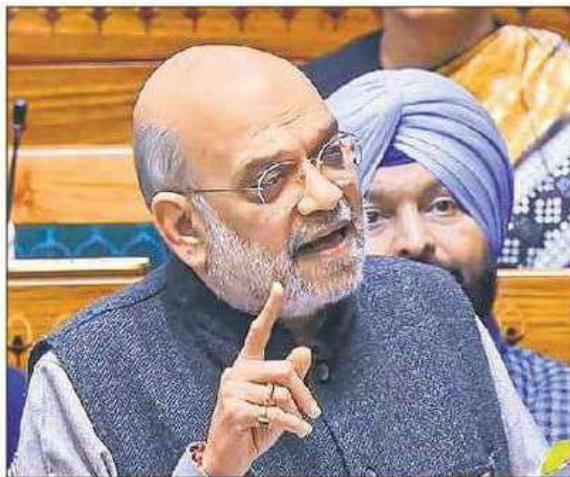
NEW DELHI: Leader of Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi on Wednesday challenged Home Minister Amit Shah to debate with him on his three press conferences in which the Congress leader alleged "vote chori" by the BJP in collusion with the Election Commission.

Fiery exchanges were witnessed in the Lok Sabha with Shah and Gandhi trading barbs.

With Shah attacking the Congress and the Opposition while participating in a debate on election reforms, Gandhi hit back and challenged Shah to counter his arguments.

"I had asked a question yesterday. For the first time in India's history, decision was taken that election commissioners will be given full immunity. He (Shah) must tell us the thinking behind this. He talked of Haryana, he gave one example but there are numerous examples (of vote chori)," Gandhi said.

"Let us have a debate on my



Union home minister Amit Shah and LoP Rahul Gandhi during the debate on Wednesday.

PTI

press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the three press conferences," the Congress leader said.

Shah shot back at Gandhi that he will not frame his speech according to the wishes of the Leader of Opposition and also not change the sequence of his argument on someone else's demand.

"Amit Shah gave a defensive response, this is a response of being rattled and scared," Gandhi hit back.

As Shah countered the claims

Gandhi made in his press conferences in the last few months, there were heated exchanges between the treasury and opposition benches.

"In his press conference, the LoP levelled allegations that the voter list is not corrected and needs to be rectified. So, what is SIR? It is the procedure to sanitise the voter list. He is opposing even when we are undertaking the process...Your defeat is certain; voter list doesn't have to do anything with it. He said that the BJP never has to face anti-

incumbency. Anti-incumbency is only against those who work against the public interest. It is true that the BJP had to face anti-incumbency very rarely...But it is not as if we have never lost any election after 2014...Double standards won't work in a democracy. When you win, EC is great. When you lose, EC is useless and works at BJP's behest. I have answers for various of their allegations, that three press conferences also," Shah said during the discussion.

continued on →7

जिला निर्वाचन अधिकारी देंगे प्रशंसा पत्र

दो दिन में एसआईआर कार्य पूर्ण कर पेश की मिसाल



पत्रिका
इंडेक्स
स्टोरी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बारां, जहां एक ओर मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) को लेकर देश भर में पक्ष विपक्ष में दलीलें दी जा रही हैं। बीएलओ पर काम का दबाव बताया जा रहा है। ऐसे में एसआईआर के कार्य को संवेदनशीलता से लेकर जिले की एक बीएलओ ने अपने क्षेत्र के बूथ की एसआईआर कार्यक्रम शुरू होने की तारीख से दो दिन में ही करके पूर्ण कर डिजिटाइजेशन

बीएलओ को देंगे प्रशंसा पत्र



आरओ हवाई सिंह यादव ने बताया कि निर्मला ने अपने दायित्व को पूरी निष्ठा, तत्परता और तकनीकी दक्षता के साथ सम्पादित किया। इस कार्य से ग्रामीण ही नहीं अधिकारी भी प्रभावित हुए हैं। यदि लगन अनुशासन और जिम्मेदारी के प्रति समर्पण हो तो सीमित समय में ही उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। उनका यह कार्य अन्य बीएलओ एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रेरणा है। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने

बारां, अन्ता विधानसभा क्षेत्र के सिंधपुरी की बीएलओ निर्मला। बताया कि बीएलओ निर्मला के निष्ठापूर्ण कार्य को लेकर उन्हें प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। बीएलओ ने अच्छा प्रयास किया है।

कर दिया। जिले की तीन विधानसभा क्षेत्रों का तो सौ फीसदी एसआईआर पूर्ण हो चुका है। एक मात्र शेष अन्ता विधानसभा में उप चुनाव के कारण एसआईआर का कार्य 8 नवम्बर से शुरू किया गया है, जो 12 मार्च तक किया जाएगा। अन्ता विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या

110 सिंधपुरी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की लेवल 2 की शिक्षिका बीएलओ निर्मला ने एसआईआर शुरू होने की तारीख के महज दो दिन में ही कार्य पूर्ण कर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। बीएलओ निर्मला ने बताया कि 29 नवम्बर को एसआईआर को लेकर अन्ता पंचायत समिति में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उसके बाद से मैपिंग का कार्य शुरू कर दिया था। उन्होंने 4 दिसम्बर को ही ऑफ लाइन मैपिंग कम्प्लीट कर लिया था। 7 दिसम्बर को गणना प्रपत्र दिए गए थे। 8 दिसम्बर को वितरित किए गए। इसकी उन्होंने रातभर में ऑनलाइन मैपिंग की। 9 दिसम्बर को फॉर्म वापस लेकर कार्य को उसी दिन पूर्ण कर लिया।

मत का उपयोग सोच-समझकर करें

बालोतरा @ पत्रिका. एमबीआर राजकीय महाविद्यालय बालोतरा में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें छात्रों ने बढचढ कर भाग लिया। प्राचार्य डॉ. हरदान राम ने कहा कि लोकतंत्र में आम मतदाता का मत अत्यंत मूल्यवान है। स्वतंत्रता के बाद संविधान ने नागरिकों को जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार दिया है, वह मताधिकार है। इसलिए 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी छात्र-छात्राएं अपने ,परिवारजनों के एसआईआर अपडेट अवश्य करवाएं। इससे वोटर कार्ड में कोई त्रुटि हो तो उसे समय रहते सुधार किया जा सके। मत का उपयोग सोच-समझकर करें। किसी भी लालच, दबाव या प्रलोभन में आकर अपने अधिकार का दुरुपयोग न करें। सहायक आचार्य डॉ. हिम्मताराम, पदमसिंह राठौड़ ,छात्र डूंगर चौधरी, स्वरूप और महिपाल सिंह ने विचार व्यक्त किए। मतदान को संवैधानिक अधिकार बताते हुए कहा कि निःस्वार्थ एवं निष्पक्ष होकर मतदान करना हर नागरिक का नैतिक दायित्व है। इस अवसर पर प्रो. मनोज भार्गव, गोविंद सिंह, फरसाराम सराणा, पदमा बिश्नोई, कैपस एंबेसडर स्वीप नरसाराम सहित छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

युवा मतदाताओं के पंजीकरण की जानकारी दी

खेड़ . राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ में बुधवार को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की आयोजित छात्र सभा का ईएलसी प्रभारी व्याख्याता यशपाल सिंह ने मार्गदर्शन किया। युवा मतदाताओं के पंजीकरण से संबंधित आवश्यक ,आधारभूत जानकारी प्रदान की। विद्यार्थियों को मतदाता सूची, आयु पात्रता, ऑनलाइन पंजीकरण तथा निर्वाचन प्रक्रिया से अवगत कराया। प्राचार्य मुकेश कुमार



ने राष्ट्र निर्माण एवं लोकतंत्र सुदृढ़ीकरण में नैतिक मतदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को जागरूक नागरिक बनने का संदेश

दिया। छात्रा पूजा, रेवती , छात्र रमेश कुमार, भागीरथ आदि ने मानवाधिकार, लोकतंत्र, मतदान जागरूकता पर अपने विचार रखे।

राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर विद्यालयों में आयोजित किए गए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम

मरुलहर न्यूज

बालोतरा। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर, बालोतरा जिले के समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मतदाता साक्षरता क्लब के तत्वावधान में विभिन्न ज्ञानवर्धक गतिविधियों का आयोजन किया गया। इन आयोजनों का मुख्य उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को उनके संवैधानिक वोट के अधिकार और नैतिक मतदान के महत्व के प्रति जागरूक करना था। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक देवाराम प्रजापत ने बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर हमारे वोट का संवैधानिक अधिकार एवं नैतिक मतदान विषय पर समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मतदाता साक्षरता क्लब के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि 'लोकतंत्र में हर वोट की शक्ति' विषय पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सांकेतिक मतदान करवाते हुए विद्यार्थियों को मतदान प्रक्रिया से अवगत करवाया गया।

कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों ने विशेष रूप से भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मताधिकार के महत्व पर प्रकाश डाला। बिना किसी लोभ, भय, दबाव के स्वतंत्रता से वोट डालने, जाति, धर्म, क्षेत्र से ऊपर उठकर योग्यता के आधार पर उम्मीदवार का चुनाव करने, देश और समाज के विकास को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारी के साथ मतदान करने को प्रेरित किया। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि मतदान न केवल हमारा संवैधानिक अधिकार है, बल्कि एक नैतिक कर्तव्य भी है।

हर नागरिक का वोट देश की दिशा तय करता है। मानवाधिकार दिवस हमें याद दिलाता है कि राजनीतिक सहभागिता, जिसमें मतदान भी शामिल है, एक मूलभूत अधिकार है।

मतदाता जागरूकता कार्यक्रम

राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर हुआ आयोजन



नवज्योति/ बालोतरा। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर, बालोतरा जिले के समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मतदाता साक्षरता क्लब के तत्वावधान में विभिन्न ज्ञानवर्धक गतिविधियों का आयोजन किया गया। इन आयोजनों का मुख्य उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को उनके संवैधानिक वोट के अधिकार और नैतिक मतदान के महत्व के प्रति जागरूक करना था।

जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक देवाराम प्रजापत ने बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर हमारे वोट का संवैधानिक अधिकार एवं नैतिक मतदान विषय पर समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मतदाता साक्षरता क्लब के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन

किया गया। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र में हर वोट की शक्ति विषय पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सांकेतिक मतदान करवाते हुए विद्यार्थियों को मतदान प्रक्रिया से अवगत करवाया गया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों ने विशेष रूप से भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मताधिकार के महत्व पर प्रकाश डाला।

जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि मतदान न केवल हमारा संवैधानिक अधिकार है, बल्कि एक नैतिक कर्तव्य भी है। हर नागरिक का वोट देश की दिशा तय करता है। मानवाधिकार दिवस हमें याद दिलाता है कि राजनीतिक सहभागिता, जिसमें मतदान भी शामिल है, एक मूलभूत अधिकार है।

विद्यार्थियों को बताया विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का महत्व



श्रीगंगानगर (हांसल न्यूज)। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर स्थित हिंदुस्तान स्काउट गाइड हाल में निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों, प्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन मंगलवार को किया गया। इस दौरान निर्वाचन जागरूकता क्लब, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, यू डाइस के साथ-साथ शी पोर्टल पर चर्चा की गयी। साथ ही विद्यार्थियों को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का महत्व बताया गया। बैठक में एडीईईओ अशोक वधवा, एसीबीईओ सुनील दामडी, महिला एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक विजय कुमार और जिला स्वीप समन्वयक रमन कुमार असीजा उपस्थित रहे। इस दौरान निजी विद्यालयों के संगठन प्रभारी अधिकारियों द्वारा शिक्षा विभाग के साथ कंधे से कन्धा मिलाकर चलने और सहयोग की हामी भरते हुये बाल वाहिनियों की सुरक्षा मानको की पालना एवं नशा मुक्ति जैसे संकल्पों में पूर्ण सहभागिता का संकल्प लिया।

मानवाधिकार एवं मतदान की बताई महत्ता

पत्रिका

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

करौली. स्थानीय राजकीय महाविद्यालय में बुधवार को अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर स्वप कार्यक्रम के अन्तर्गत 'हमारा वोट का संवैधानिक अधिकार एवं नैतिक मतदान का महत्व' शीर्षक पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता साक्षरता क्लब एवं मानवाधिकार समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य रफीक अहमद ने की। इस मौके पर विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया। जिसमें उन्होंने वोट की महत्ता एवं संवैधानिक अधिकारों के बारे में बताया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर ध्रुविका शर्मा, द्वितीय स्थान वर्षा मीना एवं तृतीय स्थान पर योगेश रहे। महाविद्यालय के संकाय सदस्य डॉ. रामअवतार मीना ने मानवाधिकार एवं मतदान की महत्त्वता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि एसआइआर एवं

मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता ही सशक्त समाज की नींव

टोडाभीम. उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में बुधवार को विश्व मानवाधिकार दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम हुए। प्राचार्य डॉ. उदयरज मीना ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं में संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा नैतिक मतदान के महत्व को समझाना रहा। इस अवसर पर संवैधानिक अधिकार एवं नैतिक मतदान के महत्व, विषय पर संगोष्ठी आयोजित हुई जिसमें मुख्य वक्ता डॉ. गोरख कुमार शर्मा ने वैश्विक मानवाधिकारों की पृष्ठभूमि, आवश्यकता और संरक्षण के उपायों पर विस्तृत व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए छात्रों को बताया कि मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करता है, इसलिए इनका सम्मान

एसएसआर में बीएलओ की भूमिका एवं उनको सहायता देने के लिए छात्रों को प्रेरित किया। सुमन गुर्जर ने मानवाधिकारों के संदर्भ में यूएनओ की भूमिका पर प्रकाश डाला। प्राचार्य



टोडाभीम कॉलेज में संगोष्ठी को संबोधित करते मुख्य वक्ता।

और संरक्षण आवश्यक है। संगोष्ठी में डॉ. पूर्णिमा श्रीवास्तव ने नैतिक मतदान की भूमिका और नागरिकों को प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों पर विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन डॉ. सुनीता मीना ने किया। कार्यक्रम के तहत विरुद्ध

ने मताधिकार की महत्ता एवं मतदान में नैतिक मूल्यों के बारे में बताया। कार्यक्रम में मंच संचालन डॉ. सुरेश चन्द गुप्ता ने किया। इस मौके पर महाविद्यालय के संकाय सदस्य डॉ.

मानवाधिकार उल्लंघन विषय पर भाषण प्रतियोगिता भी आयोजित हुई। इसमें अंतर्ग्री मीना ने प्रथम, कुसुमलता मीना ने द्वितीय, तथा पूनम मीना एवं निशा कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता का संयोजन अभिषेक मीना ने किया।

मनमोहन मीना, डॉ. दामोदर लाल मीना, डॉ. लीना शर्मा, डॉ. गुंजन गर्ग, डॉ. मुनेश लाल मीना, डॉ. विश्राम लाल मीना, संजना जाटव, कैलाश चन्द कोली आदि मौजूद रहे।

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस • सरकारी कॉलेजों में संगोष्ठी, भाषण प्रतियोगिता, छात्र-छात्राओं को कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी

नैतिक मतदान के प्रति छात्राओं को किया जागरूक



हिंडौन सिटी। हमारा वोट संवैधानिक अधिकार का महत्व बताता है।

हिंडौन सिटी। मानवाधिकार दिवस पर एनएसएस की दोनों इकाइयों के तत्वावधान में हमारा वोट संवैधानिक अधिकार एवं नैतिक मतदान का महत्व विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों व अध्यापकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. सुभाष चन्द्र गुप्ता ने की।

मुख्य अतिथि अधिवक्ता महेश गोयल उपस्थित रहे। साथ ही श्री आपसेन शिक्षा प्रसार समिति के अध्यक्ष रामदयाल पटवारी, उपाध्यक्ष प्रकाश खेड़िया, कोषाध्यक्ष सुरेश तिपरिया तथा महाविद्यालय सचिव डॉ. आनंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री शारदे के चित्रपट पर दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगीत के साथ हुआ। इसके बाद एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी अशोक शर्मा ने मतदान को संवैधानिक अधिकार बताते हुए नैतिक मतदान के महत्व पर सारांशित विचार व्यक्त किए।

उन्होंने कहा कि मतदाता को किसी प्रलोभन से दूर रहकर योग्य व

देहाहित में कर्ष्य करने वाले प्रत्याशी का चयन करना चाहिए, क्योंकि सही प्रतिनिधि राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सह आचार्य चंद्रशेखर शर्मा ने मानवाधिकारों पर प्रभावी व्याख्यान प्रस्तुत कर छात्रों को जागरूक किया। इसके बाद आयोजित भाषण प्रतियोगिता में छात्रों ने मानवाधिकार और नैतिक मतदान विषय पर विचार प्रभावशाली रंग से व्यक्त किए। गंच संचालन छात्रा रुक्मिणी गौड़, तनिषा शर्मा तथा सह-आचार्या ललिता मुद्गल ने किया। कार्यक्रम में सह आचार्य प्रेमप्रकाश द्वारा प्रश्नोत्तरी सत्र आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्य अतिथि अधिवक्ता महेश गोयल ने संविधान में मानवाधिकार संबंधी प्रावधानों और मतदान की महत्ता पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। भाषण, प्रस्तुति व प्रश्नोत्तरी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्रों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का समापन प्राचार्य डॉ. गुप्ता के धन्यवाद ज्ञापन और राष्ट्रगान के साथ हुआ।



टोखापीम। करवे के कन्या महाविद्यालय में मानवाधिकार दिवस।

भाषण प्रतियोगिता में कुसुमलता प्रथम

टोखापीम। राजकीय कन्या महाविद्यालय व राजकीय महाविद्यालय में बुधवार को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया। प्राचार्य डॉ. उदयरान मोना ने बताया कि इस अवसर पर हमारे वोट : संवैधानिक अधिकार एवं नैतिक मतदान का महत्व विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। मुख्य वक्ता गौरव कुमार शर्मा ने वैश्विक

मानवाधिकारों पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। डॉ. पूर्णिमा श्रीवास्तव ने नैतिक मतदान और संवैधानिक अधिकारों की जानकारी दी। अधिवक्ता मोना ने विश्व मानवाधिकार विषय पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें प्रथम स्थान पर कुसुमलता मोना, द्वितीय स्थान पर पूनम मैना, तृतीय स्थान पर निशु कुमारी रहीं।

मानवाधिकार विषय पर संगोष्ठी

सुरौठ। राजकीय महाविद्यालय में बुधवार को विश्व मानवाधिकार दिवस पर विचारोत्तेजक संगोष्ठी और विभिन्न सृजनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया गया। राजकीय महाविद्यालय हिंडौन सिटी के प्रोफेसर डॉ. दिनेश मैना एवं अन्य अतिथि उपस्थित रहे। नोडल प्राचार्य के निर्देशन में समसामयिक वैश्विक परिदृश्य में मानवाधिकार विषय पर संगोष्ठी हुई। डॉ. हरदयाल, डॉ. पंकज गुप्ता, डॉ. सचिन कुमार ने



कहा कि मानवाधिकार मानव गरिमा, समानता और स्वतंत्रता की नींव हैं। महाविद्यालय में पोस्टर एवं निबंध प्रतियोगिता भी हुई।

भाषण प्रतियोगिता में धुविका प्रथम रही

करोली। राजकीय महाविद्यालय को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार मतदाता साक्षरता क्लब एवं मानवाधिकार समिति के संयुक्त तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर शिव कर्षण के अंतर्गत 'हमारा वोट : संवैधानिक अधिकार एवं नैतिक मतदान का महत्व' विषय पर भाषण प्रतियोगिता हुई। अध्यक्षता प्राचार्य रफ़ीक अहमद ने की। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भाषणों के माध्यम से वोट की महत्ता, मतदान के अधिकार तथा संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों पर प्रकाश डाला। निर्णायकों ने प्रथम धुविका शर्मा, द्वितीय वर्षा मैना एवं तृतीय स्थान योगेश को प्रदान किया।

संकाय सदस्य डॉ. रामअवतार मोना ने मानवाधिकारों एवं मतदान की महत्ता पर विचार रखते हुए एसआईआर एवं एसएसआर में बीएलओ की भूमिका तथा उन्हें सहयोग देने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया। सुमन गुर्जर ने मानवाधिकारों के संरक्षण में यूनानों की भूमिका पर प्रकाश डाला। प्राचार्य रफ़ीक अहमद ने मतदाधिकार की उपयोगिता एवं मतदान में नैतिक मूल्यों के महत्व पर जोर दिया। गंच संचालन डॉ. सुरेश चन्द्र गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में डॉ. मनमोहन मैना, डॉ. धर्मोदर खल्ल मोना, डॉ. लीना शर्मा, डॉ. गुंजन गर्ग सहित अनेक संकाय सदस्य उपस्थित रहे।

राजीव गांधी कॉलेज में मानवाधिकार दिवस मनाया

नांदी। राजीव गांधी महाविद्यालय नांदी तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैमरा में विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया।

प्राचार्य डॉ. प्रद्युम्न सिंह ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक, अखंड तथा मानव गरिमा की रक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला।

मानवाधिकार व मूल अधिकारों की जानकारी दी

सफ़ोटरा। पीजी महाविद्यालय में बुधवार को प्राचार्य रामहरि मीणा की अध्यक्षता में मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों को मानवाधिकार व मूल अधिकारों की जानकारी दी गई। प्राचार्य रामहरि मीणा ने विद्यार्थियों को मानवाधिकार की अवधारणा,

उन्के संवैधानिक स्वरूप व सामाजिक महत्व की जानकारी दी गई। उन्होंने व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता व समानता की सुरक्षा के अधिकार के बारे में भी अवगत कराया। इस दौरान सर्वजीत मोणा, अश्विनी मीणा, साहब सिंह, जितेंद्र मीणा, प्रेति मीणा, मनीष गर्ग आदि उपस्थित थे।

विद्यार्थियों को वोटर हेल्पलाइन ऐप से पंजीकरण की जानकारी दी

हिंडौन सिटी | राजकीय महाविद्यालय हिंडौन सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के अवसर पर मतदाता साक्षरता क्लब एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर नव प्रवेशित विद्यार्थियों को वोटर हेल्पलाइन ऐप से पंजीकरण और पहचान पत्र बनाने की जानकारी दी गई। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित भाषण प्रतियोगिता में उदय कुमार, सलोनी बंसल

और प्रदीप कुमार को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।

डॉ. शालिनी गुप्ता ने भारतीय निर्वाचन आयोग की मास्टर एप्लीकेशन की जानकारी साझा की। विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों को मतदान की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में डॉ. अनिल अग्रवाल, डॉ. महेश गर्ग, डॉ. श्रीनिवास गुर्जर, उपमा मीना, गुंजन गोयल, सुमित वीरिटिया समेत अनेक विद्यार्थी उपस्थित थे।

